

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 5/2020 (Bank Case)

यूको बैंक, शाखा: के0वी0 कोटा

- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

ऋणी / प्रोपराईटर / जमानतदार :-

1. मैसर्स रिदम इलेक्ट्रॉनिक्स
प्रोपराईटर श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता,
पता-(1) दुकान नं0 ए-3, वैश्रवी टॉवर, पेट्रोल पम्प के पास, मनोज
सिनेमा, स्टेशन रोड, कोटा जंक्शन कोटा-324002
(2) अम्बर कॉलोनी, नटराज सिनेमा के पास, स्टेशन रोड, कोटा
जंक्शन, कोटा-324002
2. श्रीमती शांति गुप्ता पत्नी श्री रमेश चन्द गुप्ता
पता- 204, वैश्रवी पैलेस, लाल कोठी, रंगपुरा, कोटा जंक्शन,
कोटा-324002

- अप्रार्थीगण




प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम 2002

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 21 .01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यूको बैंक, शाखा: के0वी0 कोटा से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.12.2016 को रूपये 15,00,000/- (अक्षरे: रूपये पन्द्रह लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति दुकान नं0 ए-3, के बेसमेंट में, महाराव भीम सिंह नगर, पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड, भीमगंजमंडी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 188.20 वर्ग फीट हैं जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.6.2009 से श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द एवं श्रीमती शान्ति गुप्ता पत्नी श्री रमेश चन्द गुप्ता के नाम से है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.09.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 15,06,346.10/- (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख छः हजार तीन सौ छियालीस रूपये दस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.09.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से


जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)


नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 19.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 19.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता की बंधक अचल सम्पत्ति दुकान नं० ए-3, के बेसमेंट में, महाराव भीम सिंह नगर, पेट्रोल पम्प के पास, स्टेशन रोड, भीमगंजमंडी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 188.20 वर्ग फीट हैं जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.6.2009 से श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द एवं श्रीमती शान्ति गुप्ता पत्नी श्री रमेश चन्द गुप्ता के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को सुनाया गया।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा